

प्रेषक,  
मधु जोशी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन,  
सेवा में,  
निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उ.प्र., इलाहाबाद।

सं०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ  
संख्या 313 / सं०सं०शि०प०/20  
दिनांक 13-4-16

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 7 अप्रैल, 2016

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था 'ट्रीट' किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्था द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्था की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रम	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नम्बर	धर्म
1	सेन्ट थॉमस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं. 33ए/2, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोयडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर	F.No. 1431 OF 2014 Dated 12 Decmber, 2014	ईसाई

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) से आच्छादित पाठ्यक्रमों हेतु उक्त संस्था-सेन्ट थॉमस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं. 33ए/2, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोयडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में 'ट्रीट' किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,  
/   
(मधु जोशी)  
विशेष सचिव।

संख्या-221(1)/सत्तर-6-2016 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
- 2- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
- 3- कुलसचिव, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उनके पत्रांक-सम्बद्धता/1106 दिनांक 25-06-2015 के संदर्भ में।
- 4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, सेन्ट थॉमस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं. 33ए/2, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोयडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर।
- 6- उच्च शिक्षा अनुभाग-2 एवं 3
- 7- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 8- विभागीय आदेश पुस्तिका।

कामलेश/संभव  
13/04/16

आज्ञा से,  
मधु जोशी  
(मधु जोशी)  
विशेष सचिव।